न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—322 / 2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
हरनाथसिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बालुसिंह जाति पुरोहित, निवासी रेलवे क्रोसिंग के पास तिंवरी रोड़, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

प्रार्थीगण की ओर से :— अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा उपस्थित।

अप्रार्थी की ओर से :— सरकारी पैरोकार।

—::निर्णय::—

दिनांकः— 30/10/19

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— प्रार्थी व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा ग्राम प्रतापनगर तथा खसरा नम्बर 962 / 1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1061 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा ग्राम जाटीपुरा तथा खसरा नम्बर 1101 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 1103 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1106 रकबा 70 बीघा, खसरा नम्बर 1121 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नबर 974 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बाबारामदेवनगर तथा खसरा नम्बर 1760 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1798 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा मौजा ग्राम ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश कहीं पर हंसुसिंह व कहीं पर हंसराज दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पेन कार्ड इत्यादि हरनाथसिंह राजपुरोहित के नाम से बने हुए हैं उक्त [illegible] की प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि [illegible] राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई [illegible] रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में र[illegible] अनेको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। राजस्व रेकर्ड व अन्य [illegible]वेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि [illegible]र भूमि सुधार कार्य करने बैंक ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हंसुसिंह व हंसराज दर्ज है जो गलत है उसके स्थान पर सही नाम हरनाथसिंह राजपुरोहित दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र रेकर्ड पर लिया गया।

यह है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 818 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 959 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा ग्राम प्रतापनगर तथा खसरा नम्बर 962/1 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 1061 रकबा 21 बीघा 10 बिस्वा ग्राम जाटीपुरा तथा खसरा नम्बर 1101 रकबा 15 बीघा, खसरा नम्बर 1103 रकबा 42 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 1106 रकबा 70 बीघा, खसरा नम्बर 1121 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नबर 974 रकबा 22 बीघा 12 बिस्वा ग्राम बाबारामदेवनगर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम हंसुसिंह पुत्र बालुसिंह तथा खसरा नम्बर 1760 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1798 रकबा 58 बीघा 19 बिस्वा मौजा ग्राम ओसियां, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम हंसराज पुत्र बालुसिंह के स्थान पर हरनाथसिंह राजपुरोहित पुत्र बालुसिंह दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:41:37 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 30/10/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner